सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25(3) के तहत तिमाही रिपोर्ट
(30 सितम्बर, 2016 अर्थात 31.07.2016 से 30.09.2016 तक)

(क)	प्रत्येक प्राधिकारी द्वारा प्राप्त अनुरोधों की संख्याः-	440
(ख)	ऐसे निर्णयों की संख्या, जिनमें आवेदक अनुरोधों के अनुसरण में दस्तावेज देखने के हकदार नहीं थे, अधिनियम के वे उपबंध, जिनके अंतर्गत ये निर्णय लिए गए थे, और ऐसे उपबंधों का कितनी बार अवलंब लिया गया थाः-	शून्य
(ग)	केंद्रीय सूचना आयोग को समीक्षा के लिए भेजी गई अपीलों की संख्या, अपीलों का स्वरूप एवं अपीलों का परिणामः-	[17 (11 मामलों में केंद्रीय जन सूचना अधिकारी के निर्णय को सही ठहराया गया है। 06 मामलों में केंद्रीय सूचना आयोग ने अपीलकर्ता को जवाब की प्रति फिर से उपलब्ध करवाने का निदेश केंद्रीय जन सूचना अधिकारी को दिया है।]
(घ)	इस अधिनियम के प्रशासन के संबंध में किसी अधिकारी के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्रवाई का विवरण-	शून्य
(ङ)	इस अधिनियम के तहत प्रत्येक लोक प्राधिकरण द्वारा एकत्रित प्रभारों की राशि	**13116/-रु.**
(च)	अधिनियम के भाव का प्रशासन और क्रियान्वयन करने के लिए प्रत्येक लोक प्राधिकरण द्वारा किए गए प्रयासों को दर्शाने बाला विवरण	---
(छ)	सुधार, जिसमें अधिनियम के विकास, अभिवृद्धि, आधुनिकीकरण के लिए अपेक्षित सुधार; अधिनियम या निर्णयज विधि के अन्य विधान में संशोधन करने के लिए सुधार या सूचना प्राप्त करने के अधिकार को क्रियाशील करने से सुसंगत कोई अन्य मामला शामिल है, के लिए उपयुक्त सुझाव।	शून्य

ह./-

(मोहम्मद उमर)
अवर सचिव एवं
केंद्रीय जन सूचना अधिकारी